न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 103/22 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2022/107)

1. सोनू पुत्र प्रेम
2. रामबाबू पुत्र प्रेम
3. कल्लो पुत्री प्रेम
4. रामा पुत्री प्रेम
5. सन्ता पुत्री प्रेम

जातियान हरिजन निवासी पहाडी तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग दिनांक 25.8.2022 व सिलसिले एलोटमेन्ट केन्सिल किये जाने प्रार्थना पत्र 14(4)

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपील्लान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 08.08.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के निर्णय दिनांक 25.8.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार पहाडी द्वारा वहैसियत भूमिधारी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा नियम 14(4) बाबत खसरा नम्बर 2465 रकबा 0.49 किस्म बारानी प्रथम का अपीलान्टस के पिता को हुये आवंटन को यह कहते हुये कि एलॉटी प्रेम पुत्र प्यारे के द्वारा व उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके विधिक वारिसों कल्लो, रामबाबू, रामा, सन्ता, सोनू जाति हरीजन निवासी पहाडी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है तथा आवंटित भूमि साविक खसरा नम्बर 2026/0.49 व हाल खसरा नम्बर 2465/0.49 पर बाद आवंटन आवंटी व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है ना ही उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। अतः उक्त आवंटन आवंटन की शर्तों एवं आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज की जावे। तहत अदालत एडीएम डीग द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.8.2022 पारित करते हुये आवंटी को हुये आवंटन दिनांक 24.6.1972 को आवंटन की नियम शर्तों की पालना नहीं किये जाने के दृष्टिगत निरस्त कर दिया गया तथा उक्त भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश दिनांक 25.8.2022 के खिलाफ यह

8.8.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित तथा विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 2465/0.49 वाकै ग्राम पहाडी तहसील पहाडी में स्थित है जो साविक खसरा नम्बर 2026/10 रकबा 0.49 से बनाया गया है। उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा दिनांक 24.06.1972 को सिवायचक भूमियों का आवंटन नियमों के तहत कई व्यक्तियों को किया गया था। इस आवंटन आदेश में कम संख्या 16 पर अपीलान्ट के पिता प्रेम पुत्र प्यारे हरिजन के हक में भी 3 बीघा आराजी का आवंटन किया गया था। आवंटन आदेश के आधार पर अपीलान्ट के पिता प्रेम पुत्र प्यारे के हक में गैर खातेदारी का नामान्तरकण तत्समय भरा गया था, जिसके आधार पर जमाबन्दी में भी गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया था। अपीलान्ट के पिता प्रेम का स्वर्गवास होने के बाद अपीलान्ट को विरासत के आधार पर गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया तथा तहसीलदार/भू अभिलेख तहसील पहाडी द्वारा अपने आदेश कमांक 2562 दिनांक 30.12.2019 के द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को विवादित आराजी पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया था। उक्त आदेश की पालना कराने के बजाय अदालत तहत के समक्ष तहसीलदार पहाडी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पेश किया इस प्रार्थना के संबंध में विधिवत जांच किए बिना व अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड को देखे बिना शीघ्रता से अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त कर सिवायचक में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिविरूद्ध है। अदालत तहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के द्वारा दिये गये जबाब व उनके द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात पर गौर किये बिना व तहसीलदार द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व नियम व दस्तावेजों के विरूद्ध बनाई गई मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि तहसीलदार पहाडी के समक्ष पूर्व में एक आवेदन गैर खातेदारी से खातेदारी के संबध में अपीलान्ट द्वारा दिया गया था जिसमें तहसीलदार के समक्ष यह रिपोर्ट पेश की गई थी कि "मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के अनुसार उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 1433 दिनांक 24.6.1972 गैर खातेदार का आवंटन प्रेम पुत्र प्यारे कौम हरिजन कस्बा पहाडी गैर खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त भूमि हिन्दु मिलकियत है भूमि पर कोई विवाद व स्थगन नहीं है तथा आवंटी के वारिसान का मोके पर कब्जा है। आवंटी की मृत्यु होने पर उसके वारिसान नामान्तरकरण संख्या 1653 दिनांक 05.05.2016 से रामबाबू, सोनू पिसरान प्रेम तथा रामा, सन्ता, कल्लो पुत्रीयान प्रेम कौम हरिजन वहिस्सा बराबर गैर खातेदारी दर्ज हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन की

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

8-8-2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सभी शर्तों की पालना की गई है। अतः गैर खातेदारी से खातेदारी दिया जाना उचित है। इस अनुशंषा के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.12.2019 को अपीलान्ट के हक में गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये परन्तु तहत अदालत ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कर आवंटन निरस्त करने में भारी भूल की है। आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है। आराजी दिनांक 24.06.1972 को अपीलान्ट के पिता प्रेम को आवंटित हुई जिस पर वे अपने जीवन पर्यन्त काबिज रहे और पिता की मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। विरासतन अपीलान्टस के नाम आराजी में दर्ज है परन्तु अदालत तहत ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उसी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.06.2021 को मौका रिपोर्ट पेश कर अपीलाधीन आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होने के संबध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की तथा तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र धारा 14(4) तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का की दूसरी असत्य रिपोर्ट के आधार पर पेश कर दिया है। इस प्रकार एक ही तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा विवादित आराजी के संबध में दो भिन्न–भिन्न मौका रिपोर्ट पेश करते हुये दो अलग अलग कार्यवाही अपीलान्ट के संबध में की है जो स्पष्ट तौर पर यह प्रकट करता है कि तहसीलदार व हल्का पटवारी द्वारा नियम विरूद्ध कार्यवाही करते हुये यह अपीलाधीन निर्णय तहत अदालत से पारित करवाया है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से सम्वत 2072, 2073, 2074, 2075 आदि की विवादित खसरा नंवर के संबंध में खसरा गिरदावरी अदालत मातहत में प्रस्तुत की थी, जिसमें ज्वार, गेंहू आदि की फसल दर्ज है। उक्त रिकार्ड पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में विवादित भूमि में अपीलान्टस खातेदार दर्ज है। अदालत तहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2019 व तहसीलदार पहाडी के आदेश दिनांक 30.12.2019 पर कोई गौर नहीं किया, केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 28.6.2021 पर ही गौर करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। पटवारी हल्का व गिरदावर जानबूझ कर अपीलान्ट को तंग व परेशान कर रहे है जो कि फजरू पुत्र मल्हड जाति मेव निवासी ग्राम धीमरी तहसील पहाडी से साज करके अपीलान्ट की आराजी पर नाजायज हडपना चाहते हैं। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पूर्व मौका रिपोर्ट दिनांक 9.4.2019 से भिन्न रिपोर्ट दिनांक 28.6.2021 को तैयार करते हुये यह अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। वकील अपीलान्ट ने आर.आर.टी 2016 (1) पेज 82 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि आवंटन के तीन वर्ष पश्चात स्वतः ही आवंटी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो सकते हैं। पटवारी हल्का द्वारा दी गई प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किए गए आवंटन को उचित नहीं माना गया है। इसी प्रकार आर.आर.टी 2016 (1) पेज 359 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि तकनीकी आधार पर 60 वर्ष के पश्चात आवंटन को निरस्त किए जाने को न्यायोचित नहीं माना गया है। आर.आर.टी 2008

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

(1) पेज 599 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राजस्व अधिकारी/कर्मचारी की कमियों के लिए आवंटी को दण्डित नहीं किया जा सकता है और न ही इस आधार पर आवंटन ही निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार पहाड़ी की ओर से पूर्व में जारी किए गए आदेश दिनांक 30.12.2019 के क्रम में विवादित भूमि अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णय में कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किए जाने के कारण तहसीलदार द्वारा अदालत मातहत में आवंटन नियमों के नियम 14 (4) के तहत विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 को पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया गया कि विद्वान सरकारी पैरोकार द्वारा रिकार्ड पर बहस नहीं कर जबानी बहस की गई है जबकि अदालत मातहत की पत्रावली में समस्त रिकार्ड मौजूद है। पटवारी हल्का व तहसीलदार की वर्ष 2019 तथा 2021 की विरोधाभासी रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रतिउत्तर सरकारी पैरोकार द्वारा नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 तहसीलदार पहाड़ी की ओर से आवंटन नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के संबंध में पारित किया गया है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 में उभयपक्षकारान की ओर से की गई बहस का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए यह मानते हुए कि तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत 14 (4) संबंधी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं माना गया है। जबकि इस प्रकार की आवंटित भूमि पर राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोग हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत आवंटित भूमि की शर्तों की पालना किया जाना आवश्यक है। इन शर्तों की पालना नहीं किए जाने के आधार पर 14 (4) संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्टस के हक में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय में न तो अपीलान्टस/अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के बारे में कोई विवेचन किया और न ही विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वर्ष 2019 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट व इस आधार पर तहसीलदार की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.12.2019 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किए जाने के संबंध में दिए गए आदेश के बारे में कोई विवेचना की गई। इसके अलावा अपीलान्टस/अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाब, दस्तावेजात आदि के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई विवेचन अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया गया। इसके अलावा तहसीलदार पहाड़ी की ओर से प्रस्तुत 14 (4) संबंधी प्रार्थना पत्र जिसमें विवादित भूमि पर फजरू पुत्र मल्हड जाति मेव निवासी धीमरी तहसील पहाड़ी का पुराना कब्जा होने का उल्लेख किया गया था, के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया गया। इसके अलावा अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में वर्णित नजीरें यथा 2016 (1) आर.आर.टी पेज 82, 2016 (1) आर.आर.टी पेज 358 व 2008 (1) आर.आर.टी पेज 599 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात, पटवारी हल्का व तहसीलदार पहाड़ी द्वारा वर्ष 2019 में विवादित भूमि के संबंध में की गई रिपोर्ट तथा दिए गए आदेश व अपीलान्ट के विद्वान अभिभाष की ओर से उक्त अपील की बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर विस्तृत एवं स्पष्ट आदेश नए सिरे से पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर